

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 2327 / 2017

दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि०

बनाम

श्रीमती कमला व अन्य

आदेश दिनांक :

06.08.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री ऋषिपाल अग्रवाल, अधिवक्ता-अपीलार्थी की ओर से।

प्रत्यर्थी संख्या-6 का नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 6 की तामील हेतु आवश्यक पी.एफ. व नोटिस सात दिवस के अन्दर पुनः पेश किये जावें।

नोटिस दो सेट में पेश किये जावें। एक सेट तामील की साधारण प्रक्रिया से तथा दूसरा सेट अपीलार्थी के स्वयं के खर्चे पर रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भेजा जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति